न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
पंचायत रिवीजन संख्याः 11/2019
दायर दिनांकः 08.05.2019
निर्णय दिनांक 04.11.2024

—ःअनवानः—

श्रीमति मंजू देवी पति श्री पारसमल जाति महाजन आयु 54 साल निवासी धोटी ग्राम पंचायत कालादेह हाल निवासी भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द

— प्रार्थीया

बनाम

1. श्रीमति लक्ष्मी देवी पत्नि श्री गोपालसिंह जाति रावत आयु बालिग निवासी धोटी तहसील भीम जिला राजसमन्द
2. श्री ऋषिराज सिंह पिताश्री गोपालसिंह जाति रावत आयु बालिग निवासी धोटी तहसील भीम जिला राजसमन्द
3. ग्राम पंचायत कालादेह, पंचायत समिति भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द

— अप्रार्थीगण

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 विरुद्ध विक्रय विलेख (आवासीय भूमि का पटटा) जो ग्राम पंचायत भीम पंचायत समिति भीम जिला राजसमन्द के द्वारा बुक स. 091 के पटटा स. 13 के जरिए दिंनाक 06.02.2019 को आवासीय भूमि का पटटा तथाकथित अवैध रूप से जारी करते हुए पारित किया गया के विरूद्ध

उपस्थितः—

1— श्री दिग्विजय सिंह चुण्डावत, अधिवक्ता प्रार्थी/निगरानीकार

2— अप्रार्थीगण अनुपस्थित

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 3 ग्राम पंचायत कालादेह द्वारा चुनौती देय पटटा जारी करने की भारी विधिक एंव तथ्यात्मक त्रुटि करते हुए अवैध एंव अनाधिकार रूप से अप्रार्थी स. 1 के नाम जो पटटा जारी किया गया है वह काबिले निरस्ती है। अप्रार्थी सख्या 3 द्वारा तथाकथित पटटे को जारी करने से पूर्व न तो पूर्ण रूप से विधिक प्रक्रिया अपनायी गई और न ही विधिक नियमों की सही रूप से पालना की गई यानि अप्रार्थी स. 3 ने अपने कर्तव्यों का गलत निर्वहन करते हुए अप्रार्थी स. 1 के नाम तथाकथित फर्जी पटटा जारी करने में भारी कानूनी भूल की है। उक्त पटटा जो बनाया गया है, जो खसरा न. 521 कुलिया रकबा 4 विस्वा गैर मु. आबादी के संबंध में बनाया गया है। उक्त आराजी का कुलिया क्षेत्रफल 4 विस्वा अर्थात 3484 वर्गफीट

न्यायालय जिला कलक्टर

भूमि ही है तथा उस सम्बन्ध में स्वयं अप्रार्थी स. 3 द्वारा प्रार्थी एवं उसके पुत्र सौरभ के पक्ष में उनके पुराने कब्जे होने के कारण उक्त जायदाद पर प्रार्थीया का एक कमरा पिता के समय का बना होने से व उक्त जायदाद पर प्रार्थी की चारो तरफ बाउण्डरी होने से अप्रार्थी स. 3 सम्पूर्ण आराजी के सम्बन्ध में दो पटटे बनाये थे जो बुक सं. 7 पटटा स. 48 क्षेत्रफल 1742.5 व 49 क्षैत्रफल 1742.5 क्रमशः दिंनाक 08.08.2017 व 21.08.2017 को बनाये गये थे जो पूर्णतया विधिसम्मत तरिके से तथा सम्पूर्ण मौके पर जाकर कार्यवाही करते हुए बनाये गये थे तथा तत्कालीन संरपच एंव सचिव द्वारा उक्त दोनो पटटों का दिंनाक 22.09.17 को उप पंजीयक महोदय, भीम के यहा पर क्रमशः पटटा स. 48 को दिंनाक 22.09.17 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द सख्या 178 पृष्ठ संख्या 135 क्रम सं. 201703164100931 पर व पटटा स. 49 दिनाक 22.09.2017 को पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 178 में पृष्ठ सं. 136 क्रम 201703164100932 पर पंजीबद्ध किया गया था एंव उक्त जायदाद उनके पूर्वजों के समय से प्रार्थी के कब्जे में होने से तथा उनका पूर्णतया विधिसम्मत तरिके से कब्जे में होने तथा मौके पर कब्जा भी होने से पटटे बनाये गये थे परन्तु अप्रार्थी सं. 1 व 2 का बिना किसी हक व अधिकार के उक्त बनाये गये फर्जी पटटो के आधार पर उक्त जायदाद को ले सकते है तथा तथाकथित पटटे जो बने वह पूर्णतया विधिविरूद्ध है क्योकि अप्रार्थी सं. 3 द्वारा पूर्व में ही उक्त जायदाद के सम्बन्ध में प्रार्थीया एंव उसके पुत्र का स्वामी होना मानते हुए उनके पक्ष में पटटे बनवा दिये गये थे और वे पटटे आज भी अस्तित्व में है और मौके पर आज भी प्रार्थीया व उसके पुत्र का कब्जा है ऐसी स्थिति में पश्चातवृति जो पटटे बनाये गये है वे स्वतः ही निरस्त होने योग्य है क्योकि तत्समय ग्राम पंचायत को उक्त जायदाद के सम्बन्ध किसी भी प्रकार की अधिकारिता नही रही थी। मात्र संरपच एवं सचिव के बदल जाने से नये पटटे मिलीभगत कर बनाये गये है। उक्त अप्रार्थी सं. 1 व 2 के दोनो पटटो में दर्शाये पडौस भी समान है जो किसी भी स्थिति में संभव नही है जिससे भी उक्त दोनो पटटे फर्जी जाली नजर आ रहे है जो निरस्ती योग्य है। पटटा आवेदन पत्र आवेदन कर्ता द्वारा 50 साल पूराना निर्मित पुश्तैनी मकान होना उल्लेखित किया है जबकि स्वंय प्रार्थीया का व उसके पुत्र का मौके पर उक्त जायदाद पर कब्जा है तथा पटटा पत्रावली में भी जो पडौस दर्शाये गये है वे मौके पर है ही नही। मौके पर प्रार्थीया का बिजली कनेक्शन भी होते हूए तथाकथित पटटे में अप्रार्थीगण ने अपना कब्जा बता दिया है तथा तथाकथित भूजाये एंव पडौस भी मौके से मेल नहीं खाते है ऐसी स्थिति में चुनौती देय पटटा काबिले निरस्त है विवादित पटटा भूमि का वास्तविक रूप में प्रार्थीया पहले से ही वैधानिक रूप मे भूस्वामी है जिसे दिंनाक 08.08.2017 को ग्राम पंचायत द्वारा वैधानिक प्रक्रिया अपनाकर पुराना पैतृक होने से बापी आवासीय पटटा जारी कर रखा है प्रार्थी के पटटे को निरस्त करवाये बिना अथवा निरस्त किये बिना उसी भूमि का दुसरा पटटा न तो ग्राम पचायत जारी कर सकती है और ना ही अप्रार्थी सं. 1 करवाने का अधिकारी है ऐसी स्थिति में चुनौती देय पटटा विक्रय विलेख कोई वैधानिक महत्व नही रखता है ऐसा पटटा अपने आप में ही नल एण्ड वॉईड है ऐसी स्थिति में चुनौती देय पटटा काबिले निरस्ती है। प्रार्थी को पटटा सख्या 48 बुक न. 07 के द्वारा खसरा न. 521 के रूप में स्पष्ट अंकन व भूजा माप उतर से दक्षिण पश्चिम तरफ 42 फीट पूर्व तरफ 40 फीट व पूर्व से पश्चिम उतर तरफ 45 फीट दक्षिण तरफ 40 फीट कुलिया 1742.5 वर्ग फीट बनाये है स्पष्ट विगत के तत्कालिन सरंपच आज भी जीवित है जिसके हस्ताक्षर सम्बन्धी प्रार्थी के पटटे की जांच करवायी जा सकती है जिस हेतू प्रार्थीया सत्यता को लाने के लिये तत्पर व तैयार है प्रार्थी के नाम जारी पटटे में विगत पूर्व दिशा सौरभ मुणोत पिता श्री पारसमल की भूमि, पश्चिम में मंजुदेवी पत्नि पारसमल महाजन की भूमि, उतर में

न्यायालय जिला कलक्टर

बिलानाम भूमि, दक्षिण में मंजुदेवी पत्नि पारसमल की भूमि है जिसकी वास्तविक और भौतिक स्थिति आज भी मौके पर उसी अनुसार है जबकि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपने पटटा आवेदन में दर्शाये आस पडौस विगत व नाम तथा मौके के पडोस दोनो विरोधाभासी है जो अपने आप में चुनौतीदेय पटटे के फर्जी व बनावटी होने को प्रमाणित करता है। अप्रार्थीगण द्वारा पटटा जारी करने बाबत न ही कोई आम सूचना प्रकाशित व जारी करवाई न ही कोई नोटिस प्रकाशित करवाया न ही कोई आपत्तिया मांगी गई एंव न ही भौतिक रूप से मौका निरीक्षण करवाया गया मात्र अप्रार्थी सख्या 3 ने व्यक्तिगत रूप से अप्रार्थी सं. 1 के साथ मिलीभगत करते हुए अप्रार्थी स. 1 व 2 को मात्र विवादित भूमि के स्वामित्व को काल्पनिक तौर से दर्शाने की गरज व उददेश्य से समस्त कानूनी खानापूर्ति एक ही दिन में निष्पादित कर तथाकथित चुनौतिदेय पटटे जारी करने की भारी विधिक भूल की है जो पटटा काबिले निरस्ती है। अप्रार्थी सं. 3 जो एक वैधानिक प्रश्नगत संस्था है, के अप्रार्थी सं. 3 व सरपंच व सचिव ने मिलीभगत करते हुए अपनी पदिय हैसियत का दुरूपयोंग करते हुए अप्रार्थी सं. 1 के साथ मिलकर व सांठगांठ करते हुए बिना पूर्ण कोरम के व पंचायत बैठक के अभाव में मात्र कागजी खानापूर्ति दर्शित करते हूए चुनौतिदेय पटटा जारी करने में भारी भूल की जाने से पटटा काबिले निरस्ती है। अप्रार्थी सं. 1 से 3 ने आपसी मिलीभगत कर पटटा फर्जी तैयार किया है जो पटटा खुली आखों से देखने पर स्पष्ट रूप से फर्जी तैयार किया हुआ नजर आ रहा है जो मात्र एंव मात्र प्रार्थीया की भूमि हडपने की नियत से पटटा कुटरचित तरिके से तैयार किया है जो पटटा काबिले निरस्ती है। चुनौतिदेय पटटा पूर्णतया अप्रार्थीगण की आपसी मिलावट के फर्जी व कुटरचित तरिके से जारी किया है जिस पर पटटा जारी करने की कोई मिसल संख्या अकित नही की जाकर पटटा बिना मिसल के ही जारी कर दिया गया एव उसको कानूनी रूप देने के उददेश्य से मात्र कागजी खानापूर्ति करते हुए पटटा आवेदन पत्र, शपथ पत्र, आपत्ति आवहान पत्र निर्णय पत्र आज्ञाओं की सूची निरीक्षण पत्र अनापत्ति प्रमाण पत्र, तैयार किये गये यहा तक की जिस भूमि का पटटा जारी करना दर्शाया गया है उसका नक्शा ट्रेस व नक्शा निरीक्षण बनाया ही नही गया है जो इन दस्तावेजो के देखने व पढने मात्र से कुटरचित व फर्जी होने के आलामात स्पष्ट नजर आ रहे है अवैध व विधि विरूद्ध तरिके से एंव अनियमितताओं पर आधारित फर्जी व बनावटी पटटे को चुनौती देने बाबत कोई कानूनी सीमा बाध्य नही है उसे कभी भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है एंव न्यायालय स्वंय भी ऐसे पटटो को निरस्त करने का सुओमोटो संज्ञान ले सकती है इन परिस्थितियों में प्रार्थीया द्वारा चुनौतीदेय पटटा इस परिधि में आने से उसे चुनौती दी जा रही है। दी गई प्रमाणित प्रति में उक्त पटटे को निरस्त करने का भी नोट लगाया हुआ है, से भी उक्त पटटा फर्जी होता है तथा उसी आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पटटे को निरस्त करने का पृष्ठांकन लगाया है। उक्त विवादग्रस्त भूमि आप श्रीमान के क्षैत्राधिकार में होने से तथा अप्रार्थी स. 3 ग्राम पंचायत कालादेह पंचायत समिति भीम तहसील भीम आप श्रीमान के क्षेत्राधिकार मे होने से आप को श्रवणाधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थीया द्वारा निगरानी याचिका उपरोक्तानुसार आप श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि उक्त अपील स्वीकार फरमायी जाकर चुनौतीदेय पटटा संख्या 13 बुक स. 91 जो दिंनाकें 06. 02.2019 को अप्रार्थी स. 3 ग्राम पंचायत कालादेह पंचायत समिति भीम तहसील भीम द्वारा अप्रार्थी स. 1 के नामें जारी किया गया उसे निरस्त फरमाया जावें। अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा को निरस्त फरमाया जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर

प्रार्थी/निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। लेकिन अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

अधिवक्ता निगराकार की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निगरानी याचिका में लिए गए आधारो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 3 ग्राम पंचायत कालादेह द्वारा चुनौती देय पटटा जारी करने की भारी विधिक एंव तथ्यात्मक त्रुटि करते हुए अवैध एंव अनाधिकार रूप से अप्रार्थी स. 1 के नाम जो पटटा जारी किया गया है वह काबिले निरस्त है। अप्रार्थी सख्या 3 द्वारा तथाकथित पटटे को जारी करने से पूर्व न तो पूर्ण रूप से विधिक प्रक्रिया अपनायी गई और न ही विधिक नियमों की सही रूप से पालना की गई यानि अप्रार्थी स. 3 ने अपने कर्तव्यों का गलत निर्वहन करते हुए अप्रार्थी स. 1 के नाम तथाकथित फर्जी पटटा जारी करने में भारी कानूनी भूल की है। उक्त पटटा जो बनाया गया है, जो खसरा न. 521 कुलिया रकबा 4 विस्वा गैर मु. आबादी के संबंध में बनाया गया है। उक्त आराजी का कुलिया क्षेत्रफल 4 विस्वा अर्थात 3484 वर्गफीट भूमि ही है तथा उस सम्बन्ध में स्वयं अप्रार्थी स. 3 द्वारा प्रार्थी एवं उसके पुत्र सौरभ के पक्ष में उनके पुराने कब्जे होने के कारण उक्त जायदाद पर प्रार्थीया का एक कमरा पिता के समय का बना होने से व उक्त जायदाद पर प्रार्थी की चारो तरफ बाउण्डरी होने से अप्रार्थी स. 3 द्वारा सम्पूर्ण आराजी के सम्बन्ध में दो पटटे बनाये थे जो बुक सं. 7 पटटा स. 48 क्षेत्रफल 1742.5 व 49 क्षैत्रफल 1742.5 क्रमशः दिंनाक 08.08.2017 व 21.08.2017 को बनाये गये थे जो पूर्णतया विधिसम्मत तरिके से तथा सम्पूर्ण मौके पर जाकर कार्यवाही करते हुए बनाये गये थे तथा तत्कालीन संरपच एंव सचिव द्वारा उक्त दोनो पटटों का दिंनाक 22.09.17 को उप पंजीयक महोदय, भीम के यहा पर क्रमशः पटटा स. 48 को दिंनाक 22.09.17 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द सख्या 178 पृष्ठ संख्या 135 क्रम सं. 201703164100931 पर व पटटा स. 49 दिनाक 22.09.2017 को पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 178 में पृष्ठ सं. 136 क्रम 201703164100932 पर पंजीबद्ध किया गया था एंव उक्त जायदाद उनके पूर्वजों के समय से प्रार्थी के कब्जे में होने से तथा उनका पूर्णतया विधिसम्मत तरिके से कब्जे में होने तथा मौके पर कब्जा भी होने से पटटे बनाये गये थे परन्तु अप्रार्थी सं. 1 व 2 का बिना किसी हक व अधिकार के उक्त बनाये गये फर्जी पटटो के आधार पर उक्त जायदाद को ले सकते है तथा तथाकथित पटटे जो बने वह पूर्णतया विधिविरूद्ध है क्योकि अप्रार्थी सं. 3 द्वारा पूर्व में ही उक्त जायदाद के सम्बन्ध में प्रार्थीया एंव उसके पुत्र का स्वामी होना मानते हुए उनके पक्ष में पटटे बनवा दिये गये थे और वे पटटे आज भी अस्तित्व में है और मौके पर आज भी प्रार्थीया व उसके पुत्र का कब्जा है ऐसी स्थिति में पश्चातवृति जो पटटे बनाये गये है वे स्वतः ही निरस्त होने योग्य है क्योकि तत्समय ग्राम पंचायत को उक्त जायदाद के सम्बन्ध किसी भी प्रकार की अधिकारिता नही रही थी। मात्र संरपच एवं सचिव के बदल जाने से नये पटटे मिलीभगत कर बनाये गये है। उक्त अप्रार्थी सं. 1 व 2 के दोनो पटटो में दर्शाये पडौस भी समान है जो किसी भी स्थिति में संभव नही है जिससे भी उक्त दोनो पटटे फर्जी जाली नजर आ रहे है जो निरस्ती योग्य है। अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत कालादेह द्वारा जारी किया गया पट्टा को निरस्त फरमाया जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर

अधिवक्ता निगराकार की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का भी अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत कालादेह द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को जो पट्टा जारी किया गया उसे जारी करने का ग्राम पंचायत कालादेह को कोई कानूनन अधिकार नही हैं। क्योकि उक्त प्रकराणाधीन भूमि पर पूर्व में श्रीमती मंजु देवी पति पारसमल महाजन के नाम पट्टा जारी कर रखा था। साथ ही ग्राम पंचायत कालादेह द्वारा प्रस्तुत दिनांक 10.07.2024 की रिपोर्ट के अनुसार उक्त पट्टाशुदा भूमि पर वर्तमान में श्रीमती मंजु देवी पति पारसमल महाजन का कब्जा होकर चारदीवारी व एक मकान बनाया हुआ हैं। साथ ही ग्राम पंचायत कालादेह द्वारा उक्त पट्टा जारी करने में पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 157(क) की पालना नही की गई तथा उक्त पट्टे को स्वयं द्वारा ही निरस्त कर दिया गया। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया ग्राम पंचायत कालादेह द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर गलत तरीके से आक्षेपित पट्टा जारी किया जाना प्रकट होता है। जिसकी पुष्टि ग्राम पंचायत कालादेह के पत्र दिनांक 10.07.2024 मे वर्णित तथ्यों से भी होती है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत कालादेह द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी आक्षेपित पट्टे को खारिज किया जाता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत कालादेह द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 13 दिनांक 06.02.2019 को निरस्त किया जाता है। ग्राम पंचायत कालादेह को निर्णय की प्रति मय मूल पट्टा पत्रावली के लौटायी जावें।

4/11/24

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांक 04.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/11/24

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)